RERA Number: UPRERAPRJ485933/07/2026
Promoter Id: UPRERAPRM10102
Website: www.up-rera.in
Launch Date: 28 Jul 2026

RERA Number: UPRERAPRJ493028/07/2026
Promoter Id: UPRERAPRM10102

infipark.com



नैमिष नगर योजना

आस्था का स्पर्श, परिवार का उत्कर्ष



सांकेतिक चित्र

भूमि खण्ड

बैंक का नाम: HDFC बैंक
खाता संख्या: 99990001475271
IFSC कोड: HDFC0000078
पता: 31/31, एम.जी. रोड, हजरतगंज, लखनऊ

ब्रह्म खण्ड

बैंक का नाम: केनरा बैंक
खाता संख्या: 120040221654
IFSC कोड: CNRB0007340
पता: विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

नैमिष नगर योजना

उत्तर प्रदेश के पावन **नैमिषारण्य धाम (नीमसार)** की आध्यात्मिक विरासत से प्रेरित नैमिष नगर एक विशेष आवासीय योजना है, जहां अध्यात्म की गरिमा और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समावेश देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित यह परियोजना शांत, सुव्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन का अनुभव प्रदान करती है।

अपने प्रथम चरण में इस योजना के **ब्रह्म खण्ड, भूमि खण्ड फेज - 1 एवं भूमि खण्ड फेज - 2,** को विकसित किया जा रहा है, जहां सुनियोजित आवासीय परिसर के साथ एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित शुरुआत की जा रही है। यहां का वातावरण आध्यात्मिक शांति, हरित परिवेश एवं सकारात्मक जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है।

परियोजना में आवश्यक एजुकेशन एवं मेडिकल हब के साथ-साथ एक समर्पित कल्चरल सिटी है, जहां सांस्कृतिक गतिविधियों, परंपराओं और सामाजिक समागम देखने को मिलेगा। साथ ही, उन सभी सार्वजनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है, जिससे निवासियों को सुविधाजनक एवं संतुलित जीवन उपलब्ध हो सके।

नैमिष नगर की प्रमुख विशेषता इसकी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। यह **किसान पथ, रैथा रोड, आईआईएम रोड एवं सीतापुर रोड, बख्शी का तालाब** से जुड़ा हुआ है। साथ ही, **सिद्ध पीठ चन्द्रिका देवी मंदिर** और **नैमिषारण्य धाम (नीमसार)** तक सहज पहुँच इसे आध्यात्मिक रूप से विशेष बनाती है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा ग्रीन कॉरिडोर से बेहतर संपर्क इस योजना को और अधिक सुगम एवं आकर्षक बनाता है।

नैमिष नगर योजना एक उत्कृष्ट आवासीय योजना है, जो आपको सुरक्षित, सुविधाजनक और संतुलित जीवन का श्रेष्ठ अनुभव प्रदान करती है।

Naimish Nagar Yojna

Inspired by the spiritual legacy of the sacred **Naimisharanya Dham (Nimsar)** of Uttar Pradesh, Naimish Nagar is a distinctive residential yojna where the dignity of spirituality is harmoniously blended with modern urban amenities. Developed under the **Mukhyamantri Shahri Vistarikaran Yojna** , the township offers a peaceful, well-planned and high-quality living experience.

In its first phase, the **Brahma Khand, Bhoomi Khand Phase - 1 and Bhoomi Khand Phase - 2** are being developed, laying a strong and systematic foundation for a thoughtfully designed residential community. The environment promotes spiritual serenity, green surroundings and a positive lifestyle. The township also includes essential education and medical hubs, along with a dedicated Cultural City, envisioned as a center for cultural activities, traditions and community engagement. In addition, all key public amenities have been incorporated to ensure a convenient, comfortable and balanced lifestyle for residents.

One of the major highlights of Naimish Nagar is its excellent connectivity. This township is well connected to **Kisan Path, Raitha Road, IIM Road, Sitapur Road and Bakshi Ka Talab** . It also offers easy access to the revered **Siddh Peeth Chandrika Devi Temple and Naimisharanya Dham (Nimsar)** , making it uniquely significant from a spiritual perspective. Strong connectivity to Chaudhary Charan Singh International Airport and the Green Corridor further enhances the accessibility.

Naimish Nagar Yojna is an exceptional residential development that offers a secure, convenient and well-balanced lifestyle, providing residents with a truly enriching living experience.

सूची

- संक्षिप्त विवरण 01-06
- मुख्य आकर्षण 07-12
- विशेषताएं 13-14
- कनेक्टिविटी 15-20
- नियम व शर्तें 21-32
- शपथ पत्र 33-34



Index

- Brief 01-06
- Main Highlights 07-12
- Key Features 13-14
- Connectivity 15-20
- Terms And Conditions 21-32
- Affidavit Form 33-34



मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना







आंकेक्षिक चित्र



सांकेतिक चित्र









सांकेतिक चित्र

के अंतर्गत

infipark.com



आकेंतिक चित्र

नैमिष नगर योजना





नैमिष नगर योजना



लगभग 4100

एकड़ में बसा



एक बेहतरीन आवासीय परिसर:

- प्रथम चरण में कुल 1,673 भूखण्ड उपलब्ध
- 72 वर्ग मीटर से 450 वर्ग मीटर के भूखण्ड

infipark.com



मिश्रित भू-उपयोग

आवास और व्यवसाय का संतुलित समावेश





आंकिक चित्र

मेडिटेशन सेंटर

योग, स्वास्थ्य और संतुलन का अनुभव



एजुकेशन हब

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य
के लिए समर्पित संस्थानों का समूह

सांकेतिक चित्र





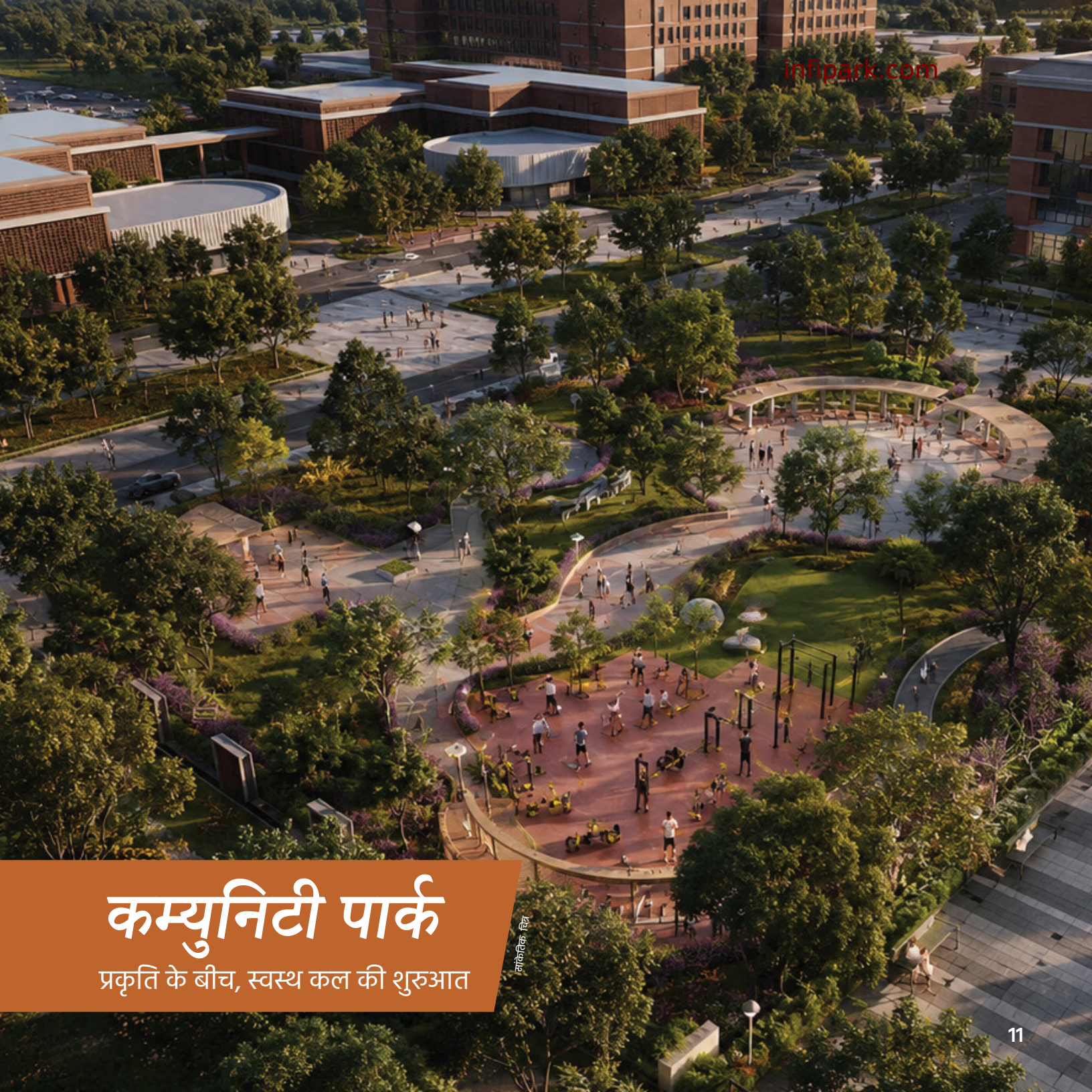
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) केंद्र

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन का प्रमुख मंच



कल्चरल सेंटर

कला, परंपरा और सांस्कृतिक गतिविधियों का जीवंत संगम स्थल



कम्युनिटी पार्क

प्रकृति के बीच, स्वस्थ कल की शुरुआत

काल्पनिक चित्र





सांकेतिक चित्र

शॉपिंग स्ट्रीट

स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट शॉपिंग का अनुभव

नैमिष नगर

सिद्ध पीठ चन्द्रिका देवी मंदिर की आस्था और
IIM लखनऊ की प्रतिष्ठा, दोनों आपके समीप।

एक सुव्यवस्थित, ऊर्जावान और विशेष जीवनशैली का नया परिसर।



चन्द्रिका देवी मंदिर

आईआईएम लखनऊ



नैमिष नगर योजना

बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ



- IIM कॉलेज - **2 मिनट**
- लखनऊ यूनिवर्सिटी (LU) न्यू कैंपस - **11 मिनट**
- डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) - **12 मिनट**
- जानकीपुरम एक्सटेंशन - **13 मिनट**
- इंजीनियरिंग कॉलेज - **15 मिनट**
- दिल्ली पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम- **10 से 15 मिनट**
- अलीगंज - **18 मिनट**
- चन्द्रिका देवी मंदिर - **25 मिनट**
- गुडम्बा थाना - **26 मिनट**
- हजरतगंज मेट्रो स्टेशन - **30 मिनट**
- इंटीग्रल यूनिवर्सिटी - **30 से 35 मिनट**
- गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज - **30 से 40 मिनट**


कनेक्टिविटी
IIM रोड

सीतापुर रोड - 5 मिनट



किसान पथ- 10 मिनट



सांकेतिक चित्र

CCS एयरपोर्ट - 35 मिनट





10 - मिनट

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत

infipark.com

नैमिष नगर योजना

में भूखण्डों के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका

लखनऊ विकास प्राधिकरण

विकास का आधार, विकास का वास्तुकार

1. योजना का नाम: नैमिष नगर योजना
स्थल: बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ

2. पंजीकरण:
2.1 पंजीकरण की अवधि: **24.09.2026 से 24.10.2026 तक**

2.2 पंजीकरण हेतु पात्रता:
2.3 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2.4 आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते हैं।
2.5 आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से है) के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

3. योजना में उपलब्ध भूखण्डों की दर एवं पंजीकरण धनराशि:

		ब्रह्म खण्ड एवं भूमि खण्ड - फेज 1	भूमि खण्ड - फेज 2		
भूखण्ड की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की कुल संख्या	पंजीकरण (धनराशि ₹ में)
A	450	18	12	30	9,19,980
B	288	66	37	103	5,88,790
C	200	218	81	299	4,08,880
D	162	282	238	520	3,31,200
E	112.5	327	197	524	2,29,995
F	72	173	24	197	1,47,200

नोट: योजना में उपलब्ध भूखण्डों की आवंटन दर ₹3,800 प्रति वर्ग फुट है।

Naimish Nagar Yojna

Information Booklet for Registration of Plots

Lucknow Development Authority

1. Name of the Scheme : Naimish Nagar Yojna
Location : Bakshi Ka Talab, Sitapur Road, Lucknow

2. Registration :

2.1 Registration Period: From **24.09.2026** to **24.10.2026**

2.2 Eligibility :

2.3 Applicant must be above 18 years of age.

2.4 Applicant must be an Indian citizen. NRIs are also eligible.

2.5 Applicant or any member of his family (family refers to the applicant, their spouse and dependent children) should not have any residential house/plot in Lucknow & not more than one residential house/plot in U.P. allotted by LDA/UPHB/any other government department.

3. Plot Rates and Registration Charges For Available Plots :

		Brahma Khand and Bhoomi Khand Phase 1	Bhoomi Khand - Phase 2		
Category Of Plots	Area (sq.mtr.)	No. Of Plots	No. Of Plots	Total No. Of Plots	Registration (Amount in ₹)
A	450	18	12	30	9,19,980
B	288	66	37	103	5,88,790
C	200	218	81	299	4,08,880
D	162	282	238	520	3,31,200
E	112.5	327	197	524	2,29,995
F	72	173	24	197	1,47,200

Note : The allotment rate of plots available under the scheme is ₹3,800 per sq. ft.

3.1 आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण धनराशि 2.5% होगी।

3.2 भूखण्डों की संख्या अनुमानित है एवं अपरिहार्य कारणों से घट-बढ़ सकती है।

3.3 आवंटन होने के पश्चात सामान्य वर्ग को 5% एवं आरक्षित वर्ग को 2.5% धनराशि आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना होगा।

3.4 योजना के **ब्रह्म खण्ड, भूमि खण्ड फेज - 1 एवं भूमि खण्ड फेज - 2** में उपलब्ध भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए, लॉटरी एक साथ की जाएगी, अर्थात् पंजीकरण के समय खण्ड का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होगा।

3.5 अवशेष धनराशि आवंटन पत्र में निर्धारित भुगतान प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथि के अनुसार किया जाएगा।

3.6 कॉर्नर सम्पति पर 5%, पार्क फेसिंग में 5% तथा 18 मीटर रोड व उससे अधिक चौड़ी पर 5% अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी आवंटन में तीनों गुण होंगे तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12% अतिरिक्त देय होगा।

4. किस्तों में भुगतान का विकल्प:

आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि 36 मासिक किस्तों में 9.7% ब्याज के साथ जमा करनी होगी तथा विलंब करने की स्थिति में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज अर्थात 11.7% वार्षिक देय होगी।

5. एकमुश्त भुगतान का विकल्प:

5.1 सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत् छूट प्रदान की जाएगी :-

1. 45 दिवस में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट
2. 60 दिवस में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट
3. 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट

5.2 आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि जमा की गयी है, उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी। समय से किस्तें जमा न करने पर दण्ड ब्याज 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस्तों की अनुमन्य व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त लिया जाएगा।

5.3 आवंटी द्वारा छूट की धनराशि अपने स्तर से घटाकर जमा नहीं की जाएगी। अंतिम मूल्यांकन के पश्चात अतिरिक्त धनराशि, अन्य देयों में समायोजित की जाएगी तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे आवंटी को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:

यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, नामान्तरित कर दिया जाएगा।

वास्तविक चित्र

3.1 The registration amount for the reserved category shall be 2.5%.

3.2 The number of plots is tentative and may increase or decrease due to unavoidable circumstances.

3.3 After allotment, the general category applicants shall deposit 5% and the reserved category applicants shall deposit 2.5% of the amount before the date specified in the allotment letter.

3.4 The lottery will be conducted simultaneously, covering the plots available in **Brahma Khand, Bhoomi Khand Phase - 1 and Bhoomi Khand Phase - 2,** that means there shall be no right to choose the khand at the time of registration.

3.5 The remaining amount shall be paid as per the payment procedure and timeline specified in the allotment letter.

3.6 For corner properties, an additional 5% shall be payable, for park-facing properties, an additional 5% shall be payable and for properties located on roads of 18 meters or wider, an additional 5% shall be payable. If any allotment has all three features, then its price shall be 12% higher than the normal price.

4. Option for Payment in Installments :

After allotment, the remaining amount can be paid in 36 monthly installments with an interest rate of 9.7% per annum. In case of delay, an additional 2% penal interest shall be charged, making it 11.7% per annum.

5. Option for One Time Payment :

5.1 After issue of the allotment letter and adjustment of the registration amount, rebate on full payment of the balance amount shall be as follows :-

1. 6% rebate on payment within 45 days
2. 5% rebate on payment within 60 days
3. 4% rebate on payment within 90 days

5.2 If the allottee deposits the full amount on a given date, the rebate applicable for that date shall be allowed. In case, the installments are not paid on time, penalty interest at the rate of 2% compound interest shall be charged additionally as per the approved installment schedule.

5.3 The allottee shall not deduct the rebate amount on their own while making the payment. After final assessment, the excess amount, if any, shall be adjusted against other dues and any remaining balance shall be refunded to the allottee without interest.

6. In Case of Death of Allottee/Applicant :

In the event of the death of the allottee or applicant, the registration amount or the allotted plot shall be transferred to the legal heir upon submission of the required documents.

infipark.com

7. आरक्षणः

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत है-

क्र. सं.	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो	05
6	विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7	भूतपूर्व सैनिक	03

नोटः

दिव्यांगों को शासनादेश संख्या-55/आठ-1-18-185 विविध/2010 **दिनांक 15.05.2018** के अनुसार 5% हॉरिजेन्टल आरक्षण देय होगा तथा शासनादेश संख्या-4985/9-आ-1-99-79 बैठक/99 **दिनांक 17.12.1999** के अनुसार समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा।

infipark.com

7. Reservation :

Reservation shall be applicable to various categories as per the Government Orders of Uttar Pradesh, which are currently as follows :

S.No.	Category	Percentage
1	Scheduled Caste(SC)	21
2	Scheduled Tribe(ST)	02
3	Other Backward Class(OBC)	27
4	MLAs/MPs and Freedom Fighters	05
5	Government employees and employees of security services who have completed 50 years of age	05
6	Employees of Development Authorities / Uttar Pradesh Housing Development Council,Jal Sansthan, Municipal Corporations and Local Bodies, Housing Bandhu Office, and Town & Country Planning Department	02
7	Ex-Servicemen	03

Note :

As per Government Order No. 55/8-1-18-185 (Misc.)/2010 **dated 15.05.2018**, 5% horizontal reservation shall be provided to persons with disabilities.
Further, as per Government Order No. 4985/9-A-1-99-79 Meeting/99 **dated 17.12.1999**, a provision of 10% reservation for senior citizens has been made. However, this reservation shall not be in addition to the reservations available under each category.

8. शुल्क/कर आदि की देयता:

8.1 शासन/नगर निगम/जल संस्थान अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा रोपित समस्त शुल्क/करों का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा।

8.2 भूखण्डों का मूल्य व क्षेत्रफल अनुमानित है, जिसमें भूमि दर/क्षेत्रफल में अलग-अलग कारणों से वृद्धि/परिवर्तन/परिवर्धन संभावित है। वास्तविक मूल्य/क्षेत्रफल के अनुसार आवंटी को अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी।

8.3 आवंटन संबंधी अन्य नियम व शर्तें योजना की विवरण पुस्तिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.ldalucknow.in** पर देखे जा सकते हैं।

8.4 योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान आवंटी को करना होगा।

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:

लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लॉटरी तिथि से तीन माह में वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि तीन माह से अधिक समय के पश्चात वापस किये जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

10. भूखण्ड के आवंटन का निरस्तीकरण:

10.1 यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं देय जी0एस0टी0 काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

10.2 यदि आवंटी द्वारा 3 किस्तें जमा नहीं की जाएंगी तो उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकार होगा कि भूखण्ड का आवंटन नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए निरस्त कर दें तथा लगातार 6 किस्तों के डिफॉल्ट होने पर बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपरोक्त बिंदु 10.1 के अनुसार कटौती कर बिना ब्याज धनराशि वापस कर दी जाएगी।

10.3 यदि कोई आवेदक दोनों योजनाओं (नैमिष नगर एवं वरुण विहार) में एक साथ आवेदन करता है तथा दोनों योजनाओं में उसका आवंटन हो जाता है, तो आवंटी को किसी एक योजना में आवंटित भूखण्ड का समर्पण करना होगा एवं समर्पित भूखण्ड की संपूर्ण पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाएगी।

11. फ्री-होल्ड शुल्क:

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री होल्ड भूमि के रूप में किया जाएगा। भूमि मूल्य (पार्क, कॉर्नर, 18 मीटर चौड़ी सड़क या अधिक होने पर सम्मिलित करके) का 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित नहीं है।

8. Details of Fees/Charges :

8.1 All fees/charges imposed by the Government/Municipal Corporation/Jal Sansthan or any other authority shall be borne by the allottee.

8.2 The cost and area of the plots are tentative and are subject to increase/change/addition in the land rate/area is possible due to various reasons. The allottee shall be required to deposit any additional amount as per the actual cost/area.

8.3 Other rules and conditions related to allotment can be seen in the information booklet and on the website of Lucknow Development Authority **(www.ldalucknow.in).**

8.4 After allotment of plots and until the scheme is transferred to the Municipal Corporation, the allottee shall pay maintenance charges **(including GST)** as prescribed by the Authority or the Government of Uttar Pradesh for the maintenance of infrastructure facilities.

9. Cancellation of Registration and Refund of Deposited Amount :

After the lottery, unsuccessful applicants shall not be entitled to any interest if their registration amount is refunded within three months from the date of lottery.

If the refund is made after three months, interest at the rate of 4% per annum (simple interest) shall be payable on the deposited registration amount.

10. Allotment Cancellation of Plots :

10.1 If an allottee wishes to cancel the allotted plot and withdraw the amount after allotment, 20% of the registration amount and applicable GST shall be deducted and the remaining amount shall be refunded without interest.

10.2 If the allottee fails to deposit three installments, the Vice-Chairman, L.D.A., shall have the authority to cancel the allotment of the plot by issuing a notice in accordance with the rules. Further, if there is a default of six consecutive installments, the allotment shall be cancelled without any prior notice and the amount shall be refunded after deductions as per clause 10.1, without interest.

10.3 If an applicant applies in both schemes (Naimish Nagar and Varun Vihar) and is allotted a plot in both, the allottee shall be required to surrender the plot allotted in either one of the two schemes and the entire registration amount for the surrendered plot shall be refunded.

11. Freehold Charges :

The allotted plot shall be registered as freehold plot by the Authority.

A freehold charge at the rate of 12% of the land cost (including park/corner charges and road width of 18 meters or more, if applicable) shall be payable before execution of the sale deed. This charge is not included in the plot cost.

infipark.com

12. तथ्यों का छिपाना:

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवेदक द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लें तथा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, कर सकता है।

13. भूखण्ड का कब्जा:

13.1 आवंटन तिथि के पश्चात, भूखण्ड का मूल्य व अन्य देयों के भुगतान करने के पश्चात निबंधन कराकर आवेदक को भूखण्ड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में दिया जाएगा।

13.2 निबन्धन/अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा।

14. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्रावधान:

आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा।

15. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:

15.1 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनन्तिम है। विकास/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम व शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

15.2 किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

16. भूखण्ड आवंटित होने के उपरांत विवादित होने की दशा में अन्य भूखण्ड नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि, भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से साधारण ब्याज देकर वापस कर दी जाएगी।

12. Concealment of Facts :

If any information provided by the applicant is found to be false or if any material fact has been concealed, the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, shall have the right to cancel the allotment/registration/agreement. The entire registration amount deposited by the applicant shall be forfeited and any other legal action deemed appropriate by the Authority may also be taken.

13. Possession of Plot :

13.1 After the date of allotment, possession of the plot shall be handed over to the applicant within a period of five (5) years, as specified by the RERA, upon payment of the plot price and all other dues and after execution of the registration.

13.2 All expenses related to the execution of the lease deed/agreement shall be borne by the allottee.

14. Provision for Mortgaging the Plot :

With the permission/No Objection Certificate (NOC) of the Lucknow Development Authority, the allottee shall have the right to mortgage the plot for obtaining a loan to deposit the dues payable to the Authority.

15. Other General Terms and Conditions :

15.1 The location, area and cost of the plots are tentative. Final assessment shall be carried out after completion of development/construction work. Other prevailing rules and conditions of the Lucknow Development Authority and any amendments/modifications made by the Authority or the Government from time to time, shall be applicable and binding.

15.2 The jurisdiction for any dispute shall be Lucknow.

16. In case, the allotted plot becomes disputed after allotment, no alternate plot shall be provided. In such a situation, the deposited amount of the applicant shall be refunded along with simple interest at the State Bank of India MCLR rate.

infipark.com

17. आवंटनः

17.1 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी।

17.2 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

17.3 लॉटरी के पश्चात डिजिटली हस्ताक्षरित आवंटन पत्र प्राधिकरण की **वेबसाइट - registration.ldalucknow.in** से डाउनलोड किये जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

17.4 एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन करने पर, आवंटन में वरीयता दी जाएगी।

18. पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रियाः

18.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका **दिनांक 24.09.2026 से दिनांक 24.10.2026 तक रु-1100/- (जी0एस0टी0 सहित)** का ऑनलाइन भुगतान कर **registration.ldalucknow.in** से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

18.2 आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे। ल0वि0 प्रा0 की **वेबसाइट - registration.ldalucknow.in** पर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जाएंगे-

- **आवेदक/आवेदकों की फोटो**
- **आधार कार्ड**
- **पैन कार्ड**
- **स्कैन्ड हस्ताक्षर**
- **आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र**

19. आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण आवेदन में अंकित किया जाए।

19.1 आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से एवं सही भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

19.2 शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रुप से किया जाएगा। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रुप से आवेदन किया जा सकता है।

19.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में बिंदु 18.2 के अनुसार दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।

20. जब तक प्राधिकरण की ओर से लॉटरी के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, तब तक जमा की गई पंजीकरण धनराशि केवल सिक्योरिटी के तौर पर जमा मानी जाएगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्टेटस आवंटन पत्र जारी किए जाने के उपरांत ही आवंटी के रूप में मान्य होगा।

infipark.com

17. Allotment :

17.1 Allotment of plots shall be carried out through a lottery in the presence of applicants. Information regarding the same shall be published separately in newspapers and on the Authority's website.

17.2 The results of the lottery shall be displayed publicly on the Authority's notice board and on the website of the Lucknow Development Authority.

17.3 After the lottery, the digitally signed allotment letters shall be available for download from the Authority's **website - registration.ldalucknow.in** and there will be no separate physical allotment letter shall be issued.

17.4 Preference will be given in allotment if the one time payment payment option is selected.

18. Registration and Application Process :

18.1 For registration, the information booklet can be downloaded from the **website- registration.ldalucknow.in** between **24.09.2026 to 24.10.2026** by making an online payment of **₹1100/- (including GST).**

18.2 Applications shall be accepted online only. The application form can be filled on the website- **registration.ldalucknow.in**. The following documents must be uploaded along with the application form :

- **Photograph of the applicant/applicants**
- **Aadhaar Card**
- **PAN Card**
- **Scanned Signature**
- **Reservation Category Certificate**

19. The bank account details provided in the application must correspond to the same name under which the application is being submitted.

19.1 While applying online, the applicant must fill in their name and address completely/correctly. Incomplete or partially filled application forms shall not be accepted.

19.2 As per Government Orders, registration of plots shall be done jointly in the name of husband and wife. Therefore, married applicants may apply jointly in the application form.

19.3 In case of a joint application, all the documents shall be uploaded in accordance with Clause 18.2.

20. Until the allotment letter is issued by the Authority after the completion of the lottery process, the registration amount deposited shall be deemed to be a security deposit only. The applicant shall acquire the status of an allottee only upon the issuance of the allotment letter by the Authority.

infipark.com

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

(नैमिष नगर योजना)

पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ये मात्र फॉर्म का प्रारूप है।

फार्म संख्या-

1.	योजना का नाम	**नैमिष नगर**
2.	उपयोजना का नाम	
3.	भुगतान पद्धति	एकमुश्त किश्तों में
4.	भूखण्ड की श्रेणी	B C D
5.	आवेदक का नाम	
6.	पिता/पति का नाम	
7.	संयुक्त आवेदक का नाम	(1) (2)
8.	पिता/पति का नाम	
9.	पत्र व्यवहार का **पता**	
10.	**स्थायी पता**	
11.	पिनकोड	वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित
12.	आयु जन्मतिथि D D M M Y Y Y Y	लिंग पु. म. अन्य
13.	श्रेणी General SC ST O.B.C. Other	
14.	आधार संख्या	पैन नं.
15.	व्यवसाय	वार्षिक आय
16.	पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रुपये	
17.	पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रुपये	
18.	**आवेदक का बैंक खाता विवरण**	
	खाताधारक का नाम	
	बैंक का नाम व शाखा	
	खाता संख्या	
	आई.एफ.एस.सी. कोड	
19.	**आवेदक द्वारा नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं सम्बन्ध**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	उम्र	
	नामित उत्तराधिकारी से सम्बन्ध	
20.	आवेदक का मोबाइल नं. 1	2
21.	ई-मेल:	

घोषणा

1. "मैं / हम एतद द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ /करते हैं कि मैंने / हमने पंजीकरण संबंधी सभी नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे / हमें मान्य हैं।
2. उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी / हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण को पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. यदि मुझे / हमें भूखंड आवंटित नहीं होता है, तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तांतरित कर दी जाए।

स्थान: आवेदक / आवेदकों के हस्ताक्षर: _____

दिनांक:

Lucknow Development Authority

Authority Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow

infipark.com

(Naimish Nagar Yojna)

Application forms for registration will be filled online only
This is merely a sample format of the form

Form No.

1.	Name of Scheme	Naimish Nagar
2.	Name of Sub-Scheme	
3.	Payment Mode	One-time In Installments
4.	Category of the Plot	B C D
5.	Name of Applicant	
6.	Name of Father/Husband	
7.	Name of Joint Applicant	(1) (2)
8.	Name of Father/Husband	
9.	Postal Address	
10.	Permanent Address	
11.	Pincode	Marital Status Married Unmarried
12.	Age Date of Dob	Gender M F other
13.	Category	
14.	Aadhar No.	PAN No.
15.	Occupation	Annual Income
16.	Registration Amount (in digits) Rupees	
17.	Registration Amount (in words) Rupees	
18.	**Details of Applicant's Bank Account**	
	Name of Account Holder	
	Name of Bank & Branch	
	Account NO.	
	I.F.S.C Code	
19.	**Name and relation of the designated successor by the applicant**	
	Name	
	Father's Name	
	Age	
	Relation from the Designated Successor	
20.	Mobile No. of Applicant	2
21.	E-mail	

Announcement

1. I/We hereby declare that I / we have fully read and understood all the registration terms and conditions which are valid to me/ us.
2. All the above information is true in my / our information and no facts have been hidden. If any fact or information is found to be false or incomplete, the authority will have the right to cancel the registration/ allotment.
3. If the plot is not allotted to me / us, the refund amount will be transferred to the bank details mentioned in the application form.

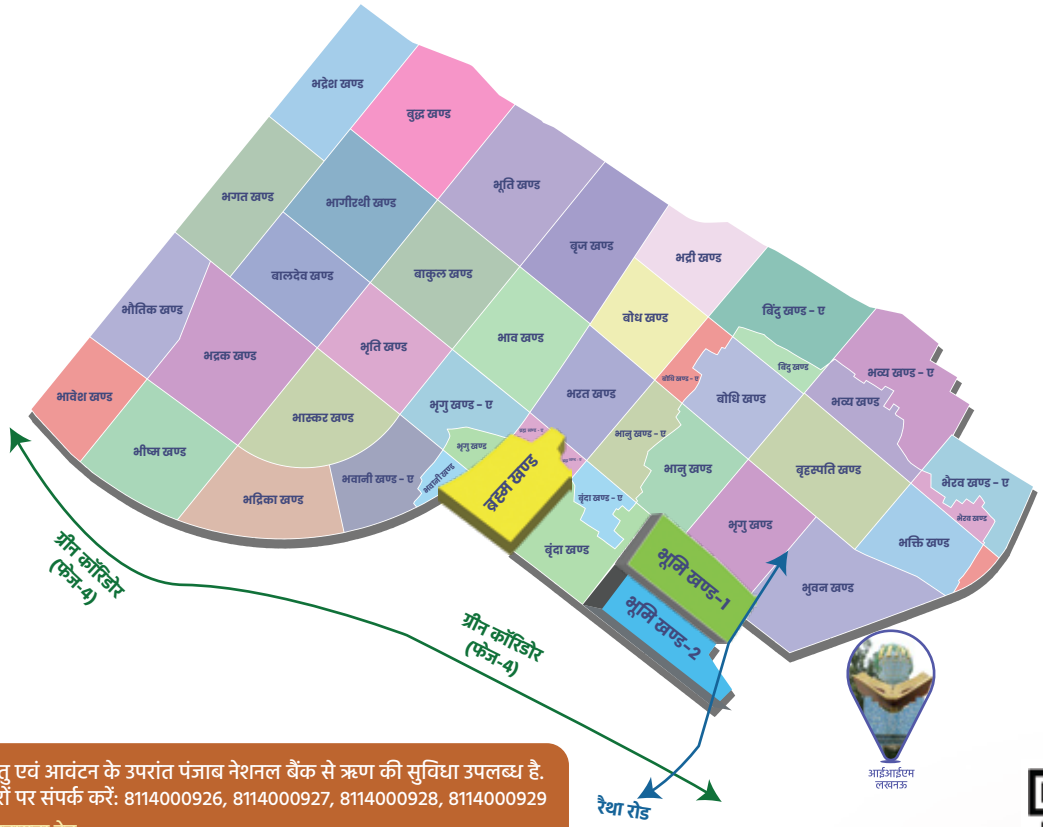
Place:
Date:

Signature of Applicant/Applicants: _____

infipark.com

नैमिष नगर योजना

मूल्य :
1100/-(GST सहित)
नॉन रिफंडेबल



पंजीकरण धनराशि हेतु एवं आवंटन के उपरांत पंजाब नेशनल बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध है.
जानकारी हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें: 8114000926, 8114000927, 8114000928, 8114000929

अधिक जानकारी एवं सहायता हेतु:
ईमेल: support@sabpaisa.in | व्हाट्सऐप सपोर्ट: 9873464326 | हेल्पलाइन: 011-40789203

साइट ऑफिस पहुँचने हेतु स्कैन करें

भुगतान संबंधी सेवा प्रदाता बैंक: HDFC बैंक: 9935499694 | केनरा बैंक: 9873464326

नोडल अधिकारी
राजीव कुमार
विशेष कार्याधिकारी
9918001461

नोडल अधिकारी
अनंत शंकर सफरीवाला
संपत्ति अधिकारी
7081101392

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु संपर्क सूत्र 1800 1800 5000
सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
ई मेल: lottery.support@ldalucknow.in
Website: www.ldalucknow.in

@lda_online
@LkoDevAuthority
@LkoDevAuthority

लखनऊ विकास प्राधिकरण
विकास का आधार, विकास का वास्तुकार